# VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M
N
23 AUG 2016
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 766)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of Candidate | KANCHAN KUMAR KANDPAL | | |
| Medium Hindi/Eng. | HINDI | Registration Number | 26216 |
| Center | MN | Date | 23/8/16 |

### INDEX TABLE

| Q. No | Maximum Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|
| 1 | 12.5 | |
| 2 | 12.5 | |
| 3 | 12.5 | |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 12.5 | |
| 6 | 12.5 | |
| 7 | 12.5 | |
| 8 | 12.5 | |
| 9 | 12.5 | |
| 10 | 12.5 | |
| 11 | 12.5 | |
| 12 | 12.5 | |
| 13 | 12.5 | |
| 14 | 12.5 | |
| 15 | 12.5 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 12.5 | |
| 18 | 12.5 | |
| 19 | 12.5 | |
| 20 | 12.5 | |

**Total Marks Obtained:**

**Remarks:**

### INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

# EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

**Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:**

1.

2.

3.

4.

5.

6.

**All the Best**

**All the questions are compulsory and carry 12.5 marks each.**

1. Legislative Councils in states are expensive and otherwise superfluous legislative appendages. Examine the utility of legislative councils in this context. Also, comment on the procedural aspect of setting up and abolishing them.

राज्य विधान परिषदें महंगी और अनावश्यक विधायी उपांग हैं। इस संदर्भ में विधान परिषदों की उपयोगिता की जांच करें। इसके अतिरिक्त इनके सृजन व उत्सादन के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर टिप्पणी करें।

भारतीय राजव्यवस्था में राज्य स्तर पर उच्च स्तर विधानमंडल के रूप में विधान-परिषद के गठन का प्रावधान है,

सृजन व उत्सादन –

संविधान का अनुच्छेद 169, संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के प्रस्ताव के आधार पर विधान-परिषद का गठन या उत्सादन कर सके,

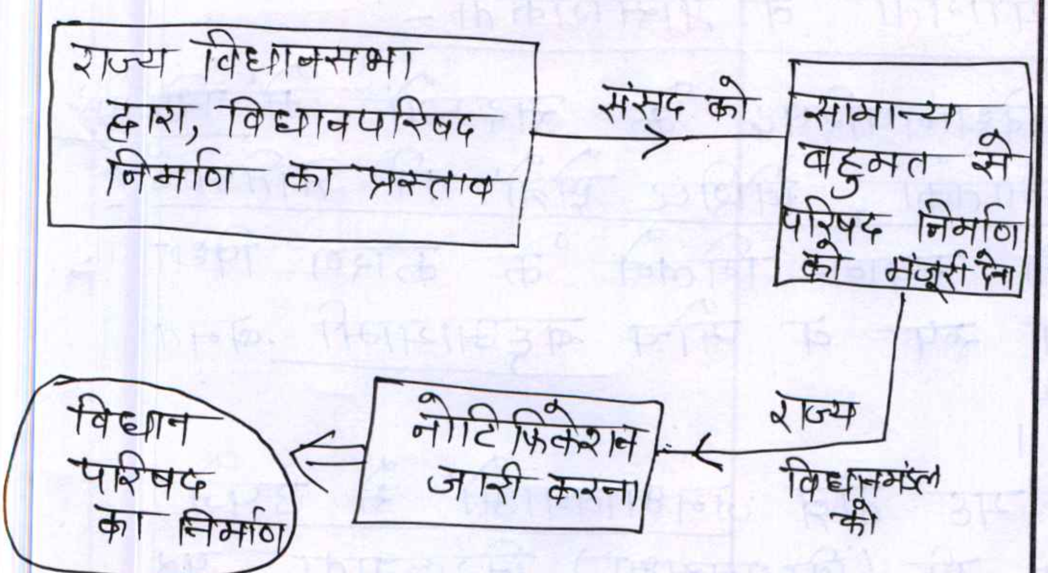

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

विधान परिषद के उत्सादन (abolishment) के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

मूल भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त 6 राज्यों में विधान परिषद को गठित किया गया था, जो मुख्यतः राज्य के आकार व विशेष परिस्थितियों के आधार पर था, वर्तमान में यह 9 राज्यों में ~~कार्य~~ कर रही है। (मध्य-प्रदेश में गठन हेतु संसद का अनुमोदन मिल चुका है, किंतु अभी तक राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

उपयोगिता व प्रासंगिकता -

(i) विधानपरिषद के सदस्यों में शिक्षकों, स्नातकों, विशिष्ट क्षेत्रों की प्रतिभाओं को स्थान मिलने के कारण विधानमंडल का रूप व सोच बहुआयामी बनती है।

(ii) यह तीव्र जनभावनाओं से उपजे मत की (विधानसभा) निरंकुशता पर रोक (check & balance) लगाता है,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) चूँकि (यदि विधानसभा विधेयक को दो बार पारित कर दे, तो) विधेयक पर परिषद की स्वतः स्वीकृत मान ली जाती है, इस कारण इसे कई बार अनुपयोगी व अव्यवहारिक सदन मान लिया जाता है,

(iv) किंतु भारतीय संविधान, इसके गठन को ऐच्छिक बनाकर इसका समाधान स्वयं देता है, अर्थात् यदि परिस्थिति के आधार पर इसका गठन उचित लगे, तभी इसका निर्माण होता है

~~(v) अतः यह~~ इस कारण इसे मूल रूप में अनावश्यक विधायी अंग मानना सत्य नहीं होगा,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. While some argue that Article 3 provides usurping powers to the center at the cost of states, according to others it enables the Parliament to maintain and preserve federalism as enshrined in the constitution. Discuss. Is it time to have a relook at Article 3 in the spirit of co-operative federalism?

जहाँ कुछ लोगों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 3 राज्यों की कीमत पर केंद्र को अनन्य शक्तियां प्रदान करता है, वहीं दूसरों के अनुसार, यह संविधान में निहित संघवाद को बनाए रखने तथा संरक्षित करने के लिए संसद को सक्षम बनाता है। चर्चा कीजिए। क्या सहकारी-संघवाद की भावना के अनुरूप अनुच्छेद 3 पर पुनः विचार करने का समय आ गया है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, संसद को अनन्य अधिकार देता है कि वह साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन, पुराने राज्य का समापन विलय, सीमा परिवर्तन, नाम में बदलाव कर सकती है। (इस हेतु संबंधित राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है।)

विभिन्न मतों का विश्लेषण:

(i) चूँकि इस प्रावधान के कारण संबंधित राज्य विशेष की सहमति आवश्यक नहीं होती है, अतः इस अनुच्छेद को केंद्र की निरंकुशता के हथियार के रूप में देखा जाता है।

(ii) कई बार इस अनुच्छेद का उपयोग केंद्र द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से करने के आरोप लगते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) चूँकि नए राज्य का गठन भी (यदि जनभावनाओं के अनुरूप हो) मांग पर ही किया जाता है, अतः वृहद दृष्टिकोण से देखने पर यह प्रावधान संघवाद को बढ़ावा देने वाला ही है।

(iv) चूँकि भारत, राज्यों के मध्य परस्पर समझौते से जन्मा संघ नहीं था, अतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुरूप भी यह प्रावधान अनुकूल है।

(v) स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पश्चात जन्मी क्षेत्रवादी समस्याओं को सुलझाने के दृष्टिकोण से भी यह प्रावधान उचित लगता है।

वर्तमान में प्रासंगिकता –

(i) चूँकि अब स्थितियाँ (क्षेत्रवाद, अलगाववाद) भारत के अनुकूल हो चुकी हैं; तथा उदारवादी लोकतांत्रिक पद्धति भी इस बात का ~~प्रावधान~~ समर्थन करती है कि इस अनुच्छेद को सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए तथा भारत ने इस दिशा में प्रगति भी की है –

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(क) संविधान संशोधनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि संसद के पूर्व संबंधित प्रस्ताव को राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल के पास भी भेजेगा,

(ख) वर्तमान में सीमा / नामपरिवर्तन / नए राज्य का निर्माण (उत्तरांचल → उत्तराखण्ड तेलंगाना निर्माण आदि) जनभावनाओं के अनुरूप हुए हैं, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से नहीं,

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com

Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. While the British Parliament is a sovereign legislature, the Parliaments of India and USA are non-sovereign legislatures. Explain. Also, compare the organisation and powers of the Indian Lok Sabha with the British House of Commons.

जहाँ ब्रिटिश संसद एक संप्रभु विधायिका है, वहीं भारत और अमरीका की संसदें गैर-संप्रभु विधायिकाएं हैं। स्पष्ट करें। इसके अतिरिक्त, हाउस ऑफ कॉमन्स और भारतीय लोक सभा के गठन की प्रक्रिया और शक्तियों की तुलना करें।

| ब्रिटिश संसद | भारत, अमेरीका की संसद |
|---|---|
| 1. यह ब्रिटिश राज्य की सर्वोच्च संस्था है, | शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होने के कारण यह सर्वोच्च नहीं बल्कि समान्तर संस्था है, |
| 2. संसद द्वारा पारित विधेयकों [विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law] को न्यायालय में चुनौति नहीं दी जा सकती, | अगर संसद द्वारा पारित विधेयक प्राकृतिक न्याय (Natural law) के विरुद्ध है, तो न्यायालय उन्हें खारिज कर देगा। |
| 3. केवल विधि निर्माण की प्रक्रिया अगर गलत है तब चुनौति दी जा सकती है। | विधि निर्माण की प्रक्रिया के साथ-साथ विषयवस्तु भी अनुचित होने पर चुनौति दी जा सकती है, |
| 4. संशोधन का अधिकार केवल संसद को है। | न्यायालय की व्याख्याएँ भी संशोधन का आधार बनती हैं। |

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके अतिरिक्त अमेरीका में मंत्रियों की जवाबदेहिता भी संसद को नहीं, बल्कि राष्ट्रपति को होती है।

उपर्युक्त कारणों के आधार पर ही ब्रिटिश संसद को सम्प्रभु माना जाता है, जबकि भारतीय व ब्रिटिश संसद को नहीं।

हाउस ऑफ कॉमन्स व भारतीय लोकसभा

(i) दोनों ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं।

(ii) हाउस ऑफ कॉमन्स में छद्म विधानमंडल (Pseudo Ministers) की व्यवस्था है, जबकि भारतीय लोकसभा में ऐसा नहीं है।

(iii) हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वोच्च संस्था है, जबकि भारत में राज्य सभा को भी कमोबेश बराबर शक्तियाँ दी गई हैं। (जबकि हाउस ऑफ लार्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के आगे शक्ति हीन है।)

(iv) हाउस ऑफ कॉमन्स में मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व भी होता है, जबकि भारत में केवल सामूहिक व व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चूँकि भारतीय लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स से प्रेरित है, परिणामतः कई संरचनात्मक व प्रक्रियागत विशिष्टताएँ समान हैं, किंतु भारतीय लोकसभा भारतीय मान्यताओं, परिस्थितियों के अनुरूप निर्मित होने के कारण विशिष्ट शक्तियाँ / विशेषताएँ रखती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. While Fundamental Rights are crucial to the survival of a vibrant democracy, Fundamental Duties are equally important. While enumerating the Fundamental Duties, discuss the statement.

जहाँ एक जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक कर्तव्यों को चिन्हित करते हुए प्रस्तुत कथन पर चर्चा कीजिए।

मौलिक अधिकार; प्राकृतिक न्याय की अवधारणा पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की वैयक्तिकता (Individuality) को सर्वोच्चता देते हैं, जो उस व्यक्ति के अधिकतम विकास, ईष्टतम जीवन यापन के लिए सुलभ परिस्थितियाँ उपलब्ध कराते हैं, यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, उन्नति व उसके अस्तित्व को किसी भी व्यवस्था का मूल उद्देश्य मानता है, अमेरीका के संविधान से प्रचलित हुई यह अवधारणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 - 35 द्वारा नागरिकों के साथ-साथ निवासियों को भी विभिन्न अधिकार प्रदान कर जीवंत लोकतंत्र को सम्भव बनाती है,

किंतु लोकतंत्र का अस्तित्व निरपेक्षता (Absolute) के आधार पर नहीं जाँचा जा सकता है। व्यवस्था के सुचारु रूप से चलने, समावेशी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाज के निर्माण, समाज की सामूहिक उन्नति के लिए, राज्य व्यक्तियों से कुछ अपेक्षाएँ करता है, इसी कारण व्यवस्था के सामूहिक सफलता के लिए मौलिक कर्तव्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

उपर्युक्त कारणों से 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(क) प्रविष्ट कराकर मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। जिनमें

1). राष्ट्रीय प्रतीकों, स्थलों आदि का सम्मान करना,
2). वैज्ञानिक मनोवृत्ति जागृत करना
3). पर्यावरण के प्रति सजगता
4). देश की सामासिक संस्कृति के विकास हेतु कार्य

आदि मूलभूत विचारधारा के रूप में दिखते हैं।

वस्तुतः मौलिक कर्तव्य एक सजग, संवेदनशील नागरिक समाज के निर्माण हेतु उपाय के रूप में देखे जा सकते हैं। इन्हें प्रवर्तनीय न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बनाकर संविधान स्वयं नागरिकों से अपेक्षा करता है कि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण का विकास कर वे समावेशी समाज निर्माण में भागीदार बनें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. Several constitutional experts have found the process of appointment and removal of governor to be against the very grain of democratic traditions and constitutional propriety. Do you think that this process warrants a fresh look in context of recent controversies surrounding the post?

कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यपाल की नियुक्ति व इसे हटाने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक परंपराओं की मूलभावना और संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध पाया है। इस पद से जुड़े हाल के विवादों को देखते हुए क्या आप इस प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155, राज्यपालों की नियुक्ति आदि के प्रावधान को वर्णित करता है, किंतु केन्द्र-राज्य संबंधों में विषम स्थितियों के कारण विशेषज्ञों ने इस प्रावधान की आलोचना की है, जिसके प्रमुख आधार हैं:-

(i) राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति (अर्थात केंद्र की इच्छा पर निर्भर करती है, (राज्यों की कोई भूमिका नहीं,)

(ii) कार्यकाल की अनिश्चितता,

(iii) केंद्र में दूसरे दल की सरकार होने पर राज्यों में राज्यपालों की मनमानी नियुक्तियाँ, स्थानांतरण,

बी० पी० सिंघल मामले एवं हाल के चर्चित अजीज कुरैशी मामले में न्यायालय स्वयं यह विचार व्यक्त कर चुका है कि राज्यपाल, केंद्र-राज्य संबंधों के विषम होने पर मोहरे की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकारिया आयोग, संविधान समीक्षा आयोग, पुंछी आयोग राज्यपालों की नियुक्ति / हटाने की प्रक्रिया को संशोधित करने की सिफारिशें कर चुके हैं।

(i) राज्यपाल के कार्यकाल को 5 वर्ष का नियत करना चाहिए,

(ii) इसे हटाने की प्रक्रिया वही होनी चाहिए जैसी राष्ट्रपति के मामले में संसद की है,

(iii) राज्यपाल पद पर राजनीतिक दल से इतर व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए,

(iv) राज्यपाल पद के बाद अन्य पद न लेने पर बाध्यता आरोपित की जानी चाहिए।

(v) राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्षी नेता व मुख्यमंत्री की कमेटी द्वारा की जानी चाहिए,

वस्तुतः राज्यपाल केंद्र–राज्य संबंधों की धुरी होने के कारण भारतीय संघवाद का चेहरा है। अतः इस पद को सशक्त व निष्पक्ष

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

बचाने के प्रयास करने चाहिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Repeated violations of the Model Code of Conduct (MCC) have raised questions on its effectiveness. In this light, discuss the idea of making MCC a part of Representation of Peoples Act, 1951.

आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) के बार-बार होने वाले उल्लंघन ने इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्न खड़े किये हैं। इस आलोक में, आदर्श आचार संहिता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का हिस्सा बनाने के विचार पर चर्चा करें।

आदर्श आचार संहिता, भारतीय लोकतंत्र मे 1960 के दशक से प्रारंभ हुआ नवाचार है, जो कानूनी रूप से बाध्य न होने के कारण, राजनीतिक दलों पर नैतिक बाध्यताएँ आरोपित करता है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखें।

किंतु वर्तमान मे इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगे हैं:-

(I) इसके उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था न होने के कारण,

(II) सीमाओं (मर्यादाओं) की उचित व वस्तुनिष्ठ (objective) व्याख्या न होने के कारण,

(III) बार-बार चेतावनी देने के कारण (जिसमें दण्ड न होने की बात सर्वविदित है) दलों ने इसे महत्वहीन ~~समझना~~ प्रारंभ कर दिया है,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iv) जागरूकता के अभाव के कारण, मतदाता वर्ग भी इसके उल्लंघनकर्ता को गलत नहीं मानकर सामान्य बात मानता है।

अपेक्षित सुधार –

(i) इसे अविलंब तौर पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हिस्सा बनाना चाहिए,

(ii) ताकि इसके उल्लंघन के लिए दण्ड को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) उल्लंघन की सीमा – सामान्य, प्रश्नगत (Questionable), चरम उल्लंघन (Extreme violation) की वस्तुनिष्ठ (objective) अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए,

(iv) इसकी समीक्षा / संशोधन में न्यायविदों, चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों व मतदाता प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आम राय कायम हो सके।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7 The government cannot condition receipt of public benefits on waiver of fundamental rights. Discuss this statement in context of the recent issues raised in the Aadhaar petitions.

सरकार, जनता के समक्ष कल्याणकारी लाभों को प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकारों के परित्याग की शर्त नहीं रख सकती। हाल ही में आधार कार्ड से सम्बंधित याचिका में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें।

भारतीय राज्य, व्यक्तियों को संवैधानिक, अनुलंघनीय मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established by law) द्वारा हटाया नहीं जा सकता, यह विशिष्टता पूरे भारतीय संविधान में केवल मौलिक अधिकारों को ही प्राप्त है,

स्पष्टतः सरकार द्वारा निर्मित कोई भी विधान (law), चाहे वह कल्याणकारी लाभों के लिए ही क्यों न हो, प्राकृतिक न्याय (= मौलिक अधिकारों) से ऊपर नहीं हो सकता

चूँकि आधार कार्ड निर्माण द्वारा व्यक्ति की निजी पहचान के सार्वजनिक होने का खतरा था, (जिसमें व्यक्ति की बायोमीट्रिक के साथ-साथ अन्य निजी जानकारियाँ भी शामिल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होगी।) इस प्रकार यह अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन था, इस कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधार कार्ड निर्माण की अनिवार्यता के प्रावधान को खारिज कर दिया गया था। इसी कारण सरकार ने संशोधित विधेयक में दो नए प्रावधान जोड़े —

(I) व्यक्ति की निजी जानकारियाँ उसकी अनुमति के बाद ही साझा की जाएँगी,

(II) बायोमीट्रिक जानकारियाँ अनुमति के बाद भी साझा नहीं की जाएँगी।

वस्तुतः यह भारतीय संविधान की मूल भावना का सम्मान है, जो व्यक्ति की गरिमा को किसी भी राज्य के सफल होने का आधार मानता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. Though the institutions protecting human rights and rights of the vulnerable sections are meant to act as watchdogs, they are treated as subordinate departments with scant regard for their autonomy or statutory character. Discuss the issues which these institutions are facing related to appointment, structure and functioning.

यद्यपि मानवाधिकारों और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संस्थानों से इन अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इन विभागों की स्वायत्तता या वैधानिक चरित्र के प्रति महज औपचारिक सम्मान प्रदर्शित करते हुए अधीनस्थ विभागों जैसा व्यवहार किया जाता है। इन संस्थाओं द्वारा नियुक्ति, गठन और कामकाज से संबंधित सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा करें।

(i) नियुक्ति, हटाना आदि केंद्र की इच्छा पर निर्भर

(ii) दण्ड देने की शक्ति नहीं

(iii) केवल सलाहकारी,

(iv) नीति - निर्माण में इनकी सहभागिता का अनिवार्य प्रावधान नहीं,

(v) वित्तीय स्रोतों की कमी

(vi) जनता में जागरूकता की कमी।

VISION IAS™
Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(vi) सदस्यों आदि के चयन में राजनीतिक प्रभुत्व का बढ़ता संकट

इस प्रकार वांछित उद्देश्यों की प्राप्त करने में असक्षम।

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9 Equality of seats among states in Rajya Sabha could not be adopted after independence because of the circumstances prevailing at that time. However, there is a need to take a fresh look at this. Evaluate.

स्वतंत्रता पश्चात् राज्यसभा में राज्यों के बीच सीटों की समानता की संकल्पना तत्कालीन परिस्थितियों के कारण नहीं अपनाई जा सकी। हालांकि इस पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन करें।

स्वतंत्रता पश्चात संवैधानिक व्यवस्था निर्माण के दौरान उपजी विभिन्न परिस्थितियों ने राज्यसभा को स्वरूप प्रदान किया, जिन्हें निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है —

(i) चूंकि भारत संघ, राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं था, अतः समान प्रतिनिधित्व की अपेक्षा समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया।

(ii) तत्कालीन परिस्थिति में राज्यों को समान महत्व देने का तात्पर्य क्षेत्रवादी भावनाओं को भड़काना होता।

(iii) उस समय लगभग 600 रियासतों के एकीकरण से भारत बना था, अतः राज्यों का सीमांकन भी वास्तविक रूप में नहीं हो पाया था।

इस कारण राज्यसभा समान अनुपात के आधार पर गठित हुई, न

कि समान संख्या के अनुसार,
कुछ प्रमुख संविधान विशेषज्ञ, एवं संघ - राज्य अध्ययन समितियाँ राज्य सभा को सभी राज्यों से समान संख्या में प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित करने का सुझाव दे चुकी हैं, किंतु इन तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी है,

(i) कई राज्यों का आकार यूरोपीय राष्ट्रों से भी अधिक बड़ा है, जबकि कई अत्यंत छोटे हैं, अतः भौगोलिक वितरण इसकी व्याख्या नहीं करता,

(ii) कई राज्य (बिहार, पश्चिम बंगाल) अत्यधिक जनघनत्व रखते हैं, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य विरल जनसंख्या वाले हैं, अतः जनसंख्या वितरण भी समर्थन नहीं करता,

अतः प्रयत्न करना चाहिए कि राज्यसभा में सीटों को नवीनतम जनगणना के आधार पर पुनः

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

वितरित किया जाए, तथा संबंधित सदस्यों को भी चाहिए कि वह अपने राज्य के विकास के साथ-साथ, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखकर अन्य छोटे (कम प्रतिनिधित्व वाले) राज्यों की मांगों को भी समर्थन कर राज्यसभा निर्माण के वास्तविक उद्देश्य को सफल बनाएँ।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**10.** It is contended that the implementation of One-Rank-One-Pension (OROP) for the armed forces would create a severe strain on government finances. Explain the principles underlying the OROP and arguments that have been cited in its support as well as opposition.

यह दृढ़तापूर्वक कहा जा रहा है कि सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.) का कार्यन्वयन सरकार के वित्त पर एक गंभीर दबाव उत्पन्न करेगा। ओ.आर.ओ.पी. के अन्तर्निहित सिद्धांतों तथा इसके समर्थन एवं विपक्ष में दिए गए तर्कों की व्याख्या कीजिए।

(i) ओ० आर० ओ० पी० के तहत समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सेना पदाधिकारियों को समान पेंशन मिलेगी,

(ii) आधार वर्ष 2005 होगा,

(iii) प्रति 5 वर्ष में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा,

(iv) इस प्रावधान के कारण देश की वित्तीय खजाने पर दबाव पड़ने का संशय है।

इसके विभिन्न पक्षों को इन बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है —

(क) समान पेंशन व्यवस्था सैनिकों के आत्मसम्मान में वृद्धि होगी,

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) चूँकि हमारा रक्षा बजट अभी भी अनेक अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, अतः आनुपातिक भार में बहुत वृद्धि नहीं होगी,

(घ) चूँकि धन का प्रवाह, उपभोग खर्च को भी बढ़ाएगा, अतः आर्थिक दृष्टिकोण से यह पूर्णतः गैर-उत्पादक खर्च नहीं कहा जा सकता,

(ङ) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में भी यह भारत वर्ष की छवि को उन्नत करेगा,

11. Article 311 of the Constitution has been a matter of much debate. Arguments range from its retention in its present form, or even strengthening it, to its total deletion. Comment.

संविधान का अनुच्छेद 311 बहस का महत्वपूर्ण विषय रहा है। इस विमर्श में इसे वर्तमान रूप में ही बनाए रखने, अधिक सशक्त करने से लेकर इसके विलोपन तक के मुद्दे शामिल हैं टिप्पणी करें।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. While Public Interest Litigations have provided access to justice for the poor and the marginalized sections of the society but many vested interests have also misused it. In this context, examine the utility of PILs as a tool of social justice.
यद्यपि जन हित याचिकाओं ने समाज के निर्धन एवं अधिकार विहीन वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान किया है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थों के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इस संदर्भ में, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जन हित याचिकाओं की उपयोगिता का परिक्षण करें।

1980 के दशक से भारतीय न्याय-प्रणाली में जनहित याचिकाओं के रूप में अभिनव प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसके माध्यम से स्टैंड बाई (stand by) के नियम के समापन के साथ-साथ, अखबार की खबरों, पोस्टकार्ड द्वारा भेजी गई याचिकाओं, स्वतः संज्ञान (suo moto) को न्यायालय द्वारा याचिका के रूप में स्वीकृति मिलने लगी।

लाभ –
(i) कमजोर तबकों तक न्याय की पहुँच बढ़ी।
(ii) अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचाने के संवैधानिक दर्शन की सफलता।
(iii) ~~स्त्री~~ शिक्षा, पर्यावरण, बाल-अधिकार, आदिवासी अधिकार जैसे मुद्दे प्राथमिकता में आए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(v) एम० सी० मेहता, अग्निवेश जैसे प्रमुख प्रतिनिधि सामने आए, जिन्होंने पर्यावरण खनन जैसे मुद्दे उठाकर जन सक्रियता को सिद्ध किया,

आलोचना -

(i) पीआईएल की अत्यधिक बढ़ती संख्या न्याय प्रणाली पर दबाव बना रही है,

(ii) हर छोटे मुद्दे (जो आपसी समझ से भी सुलझ सकते हैं) भी अब न्यायालय पहुँचने लगे हैं,

(iii) कई बार इसकी आड़ में शत्रु हित विरोधी विचारों के संगठन परियोजनाओं के समाप्ति में देरी, अनावश्यक प्रतिबंध आदि के कारण बनते हैं,

(iv) जनता की अनभिज्ञता के कारण यह अभी भी कानून के जानकारों का ही हथियार बना हुआ है,

पीआईएल वस्तुत: भारतीय न्याय व्यवस्था में आमजन को प्राप्त अचूक हथियार है, विवकाधी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मामले से लेकर दिल्ली प्रदूषण मामले तक से इसकी सामाजिक उपयोगिता सिद्ध होती है, यदि इसके अनुचित प्रयोग को रोकने में सफलता प्राप्त हो जाए तो निश्चित तौर पर यह सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य में सफल होगा,

**VISION IAS™**

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by alternate dispute redressal mechanism? Discuss the various tools of ADR. In light of the problems faced by the Indian judiciary enumerate the advantages of Lok Adalats.

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से आप क्या समझते हैं? वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र (ए.डी.आर.) के विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका के समक्ष पेश आ रही समस्याओं के आलोक में लोक अदालतों के लाभों का वर्णन करें।

भारतीय न्यायलयों पर मुकदमों के बढ़ते दबाव के कारण न्यायाधीश व जनता के मध्य का अनुपात निकृष्टतम स्थिति तक पहुँच गया है, परिणामतः न्याय निर्णयन में देरी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, ऐसे में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की महती भूमिका है,

न्यायलयों से बाहर, कानूनी रूप से आपसी समझौतों द्वारा न्याय करने की प्रक्रिया वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके प्रमुख साधन हैं:-

1) परिवार न्यायालय (Family court)
- पारिवारिक मामलों में सुलह का कार्य

1) ग्राम न्यायलय - ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायाधीश स्वयं जाकर मध्यस्थता करार,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(iii) मोबाइल कोर्ट- एक वाहन के भीतर मुद्दों का सुलझाना (न्यायाधीश की उपस्थिति में)

(iv) लोक अदालत- संबंधित पक्षों पर आपसी समझौते के द्वारा बाध्यकारी व अंतिम निर्णय लागू कराना,

लोक अदालतों के लाभ-

(i) समझौते पर आधारित होने के कारण दोनों पक्ष संतुष्ट,

(ii) निर्णय को अन्य अदालत में चुनौति का प्रावधान न होने के कारण अनावश्यक व्यय में कमी,

(iii) न्यायालयों पर बोझ में कमी

(iv) न्यायालय व्यक्तियों के छोटे विवादों से अपना ध्यान हटाकर सामाजिक न्याय के मुद्दों की तरफ उन्मुख होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें।)

**14.** Bringing political parties under the ambit of RTI will not only usher accountability and transparency in governance but will also be a major step towards electoral reforms. Discuss.

राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.) के दायरे में लाने से न केवल पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन की शुरुआत होगी बल्कि यह चुनाव संबंधी सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। चर्चा करें।

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 प्रत्येक लोक संस्था (जो राज्य से किसी भी प्रकार का लाभ लेती है) को अपने दायरे में लेता है। चूँकि राजनीतिक दल ऐसे अनेक लाभ प्राप्त करते हैं, अतः उनको इसके दायरे में लाना कानूनी रूप से उचित होने के कारण, पारदर्शी व उत्तरदायी शासन की दिशा में कदम होगा।

(ii) इससे दलों के आर्थिक स्रोत की स्पष्ट जानकारी (20 हजार से कम के दान की भी) प्राप्त होने से दलों के आर्थिक भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगेगा।

(iii) सीट आवंटन की प्रक्रिया व नीति की जानकारी लोकतंत्र को

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मजबूत बनाएगी,

(i) दलों के भीतर लोकतंत्र (आंतरिक लोकतंत्र) की स्थापना की दिशा में भी मददगार होगा,

(iv) चुनावों में किये जाने वाले खर्च आदि का अधिक पारदर्शीकरण चुनावों को अधिक प्रत्यक्ष व न्यायपूर्ण बनाएगा,

(v) नीतियों आदि से संबंधित मत, प्रक्रियाओं के विषय से सामान्य जन अवगत होंगे।

(vi) क्रोनी कैपिटैलिज्म द्वारा पोषित दलों पर अंकुश लगेगा,

(vii) सीट आवंटन में धनबल के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. A generational shift in railway operations is required. In light of this, discuss the need for an independent tariff and safety regulatory authority of India.

रेलवे के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस तथ्य के प्रकाश में, भारत के लिए एक स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ एवं सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता पर चर्चा करें।

वर्तमान स्थिति

रेलवे

(I)
- मालभाड़ा से प्राप्त आय अधिक / व्यय कम
- यात्री परिवहन से आय कम / व्यय अधिक

(II) राजनीतिक दबाव के कारण टिकट मूल्य बहुत कम

(III) डेडीकेटेड कॉरीडोर अनुपलब्धता

(IV) सब्सिडी के बोझ के कारण व्यवस्था सुधार हेतु धन अनुपलब्ध।

सुधार — (1) विभिन्न कमेटियों ने स्वतंत्र प्रशुल्क टैरिफ व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सुरक्षा नियामक प्राधिकरण की अनुशंसा की है।

(ii) यह प्राधिकरण, लागत-मूल्य (cost-benefit) के आधार पर टिकट दर का निर्धारण करेगा।

(iii) राजनीतिक दबावों से मुक्त होगा।

(iv) बजट अकाउंटिंग की जगह बिजनेस अकाउंटिंग प्रारंभ की जाएगी, जो वास्तविक लाभ-हानि को प्रदर्शित करेगी।

वस्तुतः यह प्राधिकरण रेलवे को उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**16.** It has been argued that the 'First past the post' system fails to represent the will of the majority and encourages vote-bank politics. In this context, examine whether India should adopt Proportional Representation System to reform our electoral process.

यह तर्क दिया जाता है कि 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' प्रणाली बहुमत की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर वोट बैंक की राजनीति को प्रोत्साहित करती है। इस संदर्भ में, इस बात का परिक्षण करें कि क्या भारत को अपनी चुनावी प्रक्रिया में सुधार करने हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना चाहिए?

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट —

इस पद्धति के तहत सर्वाधिक मत पाने वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, चाहे मत प्रतिशत कितना ही कम क्यों न हो, इस कारण अनेक चुनौतियाँ सामने आई हैं:—

(i) वर्ग विशेष के ध्रुवीकरण के प्रयास बढ़े हैं,

(ii) जाति- धर्म की राजनीति से प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) चुनाव नीतियों, मुद्दों से अधिक व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता पर आधारित हो जाते हैं,

(iv) समावेशी नेतृत्व भी प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि यह दल से अधिक व्यक्ति की जीत होती है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रासंगिकता

इस प्रणाली में पूरे दल को प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित कर दी जाती है, (इसमें उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर दी जाती है- सूची व्यवस्था के तहत), अर्थात मत पार्टी को मिलते है। किंतु -

(i) भारत में राजनीतिक शिक्षा का अभाव, इस पद्धति की प्रक्रियागत जटिलता पर बाधा बनता है।

(ii) अत्याधिक विषमताओं को समाहित किये देश में किसी पार्टी की पूरे देश में समान नीति अव्यवहारिक होगी।

(iii) भारत में दलीय लोकतंत्र अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है।

इस प्रकार भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ अपेक्षित सुधार कर व्यवस्था में उन्नयन किया

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जा सकता है, पद्धति में बदलाव अव्यवस्था को जन्म देगा,

सुझाव -

(I) नकारात्मक वोटिंग की तरफ बढ़ना चाहिए,

(II) जीत के लिए निर्धारित कोटा अनिवार्य किया जाना चाहिए,

(III) राजनीति के अपराधीकरण, साम्प्रदायीकरण को रोकने के प्रयास करने चाहिए,

# VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. Independence of judiciary and separation of powers, both are part of the basic structure of the constitution. In this context, discuss the recent Supreme Court judgment on the constitutional validity of the National Judicial Appointments Commission.

न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं शक्तियों का विभाजन, दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इस संदर्भ में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.)की संवैधानिक वैधता पर दिए गए निर्णय पर चर्चा करें।

भारतीय राजव्यवस्था, शक्तियों के पृथक्करण से अधिक शक्तियों के समन्वय का समर्थन करती है। अतः व्यवस्था के तीनों अंगों की स्वतंत्रता व विशिष्ट शक्तियाँ अगर मूल ढाँचे का अंग हैं, तो उनके मध्य का समन्वय भी उतना ही अनिवार्य अंग है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ने विभाजन - स्वतंत्रता व समन्वय के प्रश्न को पुनः दृश्यपटल पर प्रस्तुत किया। इसे निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है —

① न्यायाधीशों की नियुक्ति में केवल न्यायपालिका की ही भूमिका हो, यह अनुचित है, माननीय न्यायालय

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है।

(ii) चूँकि आयोग में न्यायपालिका के तीन सदस्य थे, एवं प्रावधानों के अनुसार दो व्यक्तियों का विरोध वीटो की शक्ति रखता था। अतः इस आयोग को कार्यपालिका का आतंक बताना अतिशयोक्ति होगा।

(iii) चूँकि न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आधारभूत ढाँचा माना है किंतु वहीं उसने नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की भी अनुमति दी है।

(iv) अतः प्रयत्न होना चाहिए कि निर्णय के अनुरूप सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया का जो आदर्श पत्र (MoP) कोर्ट को सौंपा है, उस पर आम सहमति के साथ

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्णय लेकर, संविधान की तीनों अंगों में समन्वय की मूल भावना का सम्मान किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**18.** AMRUT gives state governments the flexibility in designing schemes and eases central monitoring. Explain. How far can it recast the urban landscape of India?

अमृत (AMRUT) राज्य सरकारों को योजनाओं के प्रारूप निर्धारण के सन्दर्भ में लचीलापन प्रदान करता है तथा केंद्र द्वारा की जाने वाली मॉनीटरिंग को आसान बनाता है | वर्णन करें। भारत के शहरी परिदृश्य को यह किस हद तक पुनर्निर्मित कर सकता है?

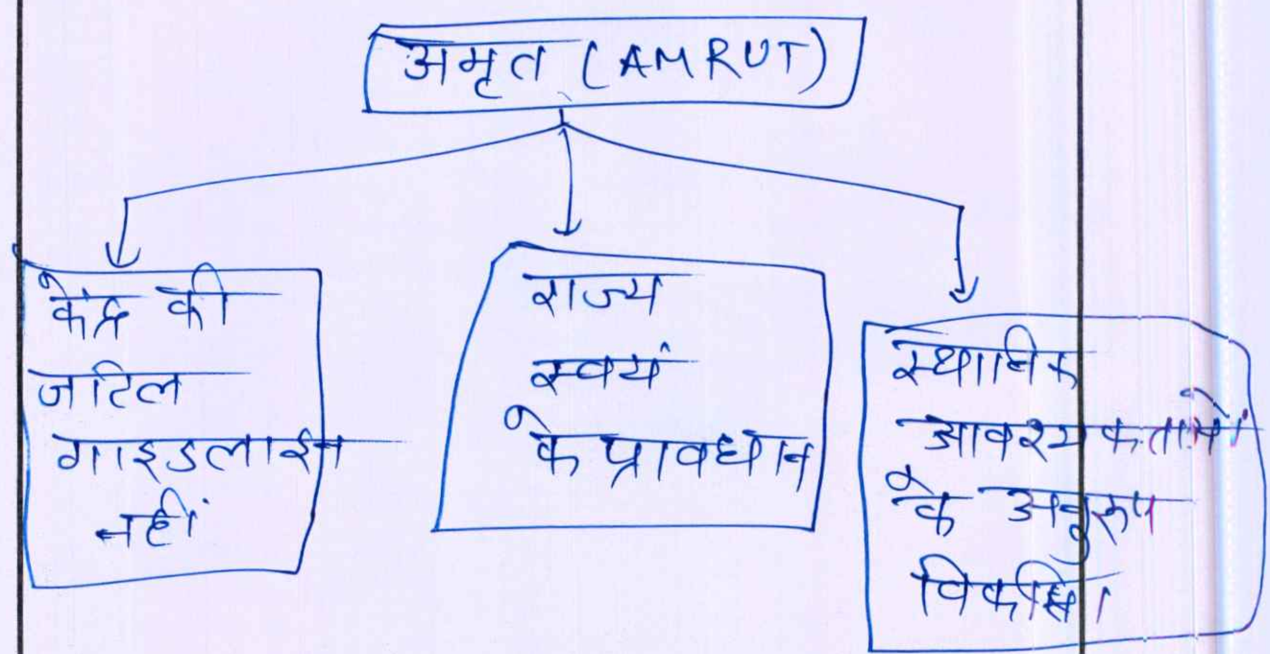


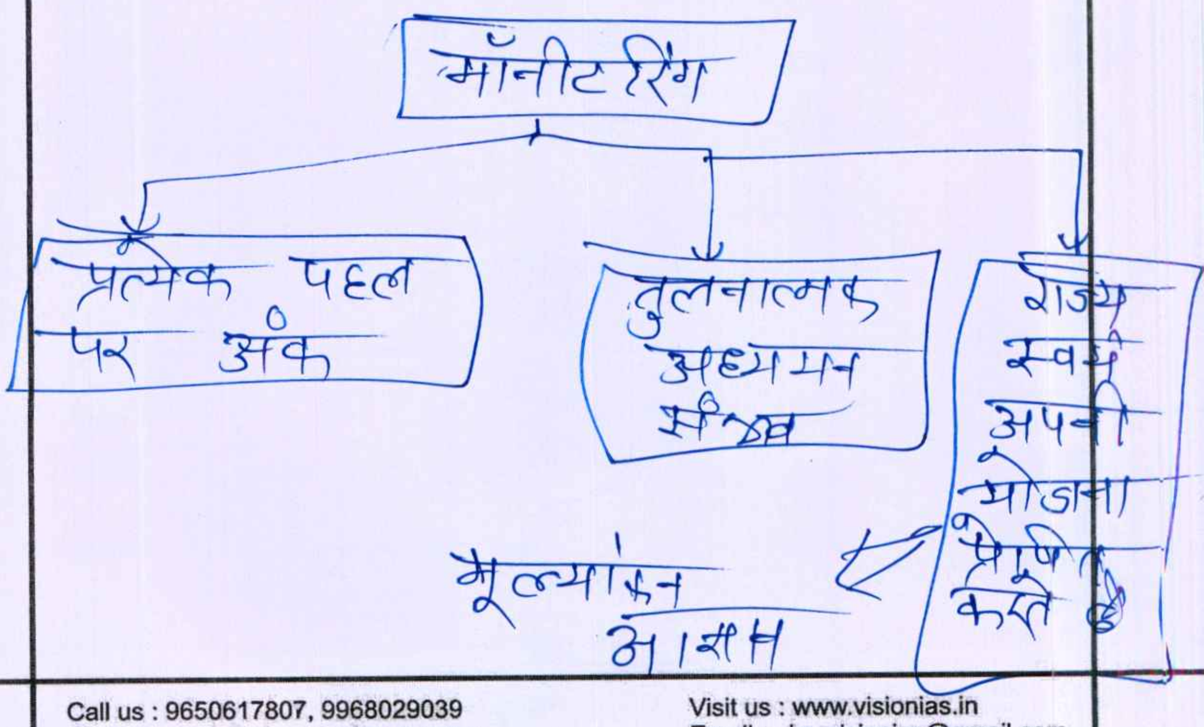

प्रभाव

- स्थानिक आवश्यकतानुरूप विकास
- विस्तृत क्षेत्र तक विकास कार्य
- सुविधाओं तक प्रत्येक वर्ग की पहुंच
- राज्यों को खुली छूट के कारण सहकारी संघवाद को बढ़ावा।

19. There has been a tendency to resolve specialized cases faster through the means of Tribunals. In light of this, discuss the issue of increasing "tribunalisation" of courts in India.

न्यायाधिकरण जैसे साधनों के माध्यम से विशेष मामलों को तेजी से हल करने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इसके सन्दर्भ में, भारत में न्यायालयों को न्यायाधिकरणीकृत करने की बढ़ती प्रवृत्ति के मुद्दे पर चर्चा करें।

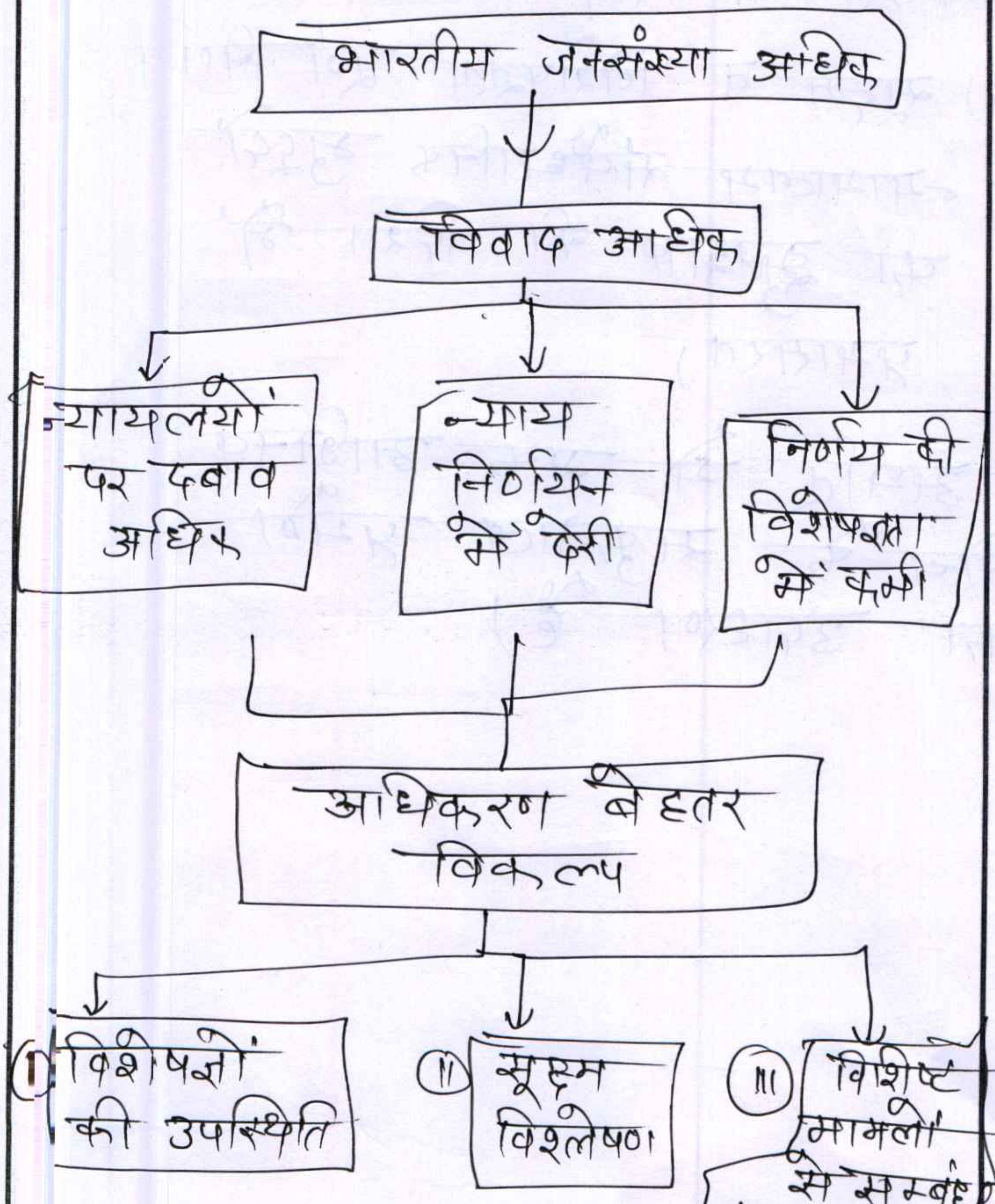

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वर्तमान भारतीय स्थिति-

(i) हरित न्यायाधिकरण आदि अनेक अधिकरण कार्यरत,

(ii) सूक्ष्म व विशेषज्ञता पूर्ण निर्णय

(iii) न्यायालय संवैधानिक मुद्दों की सुलझाव की दिशा में प्रयासरत।

अर्थात् ये एक अभिनव सोच के सफल प्रयोग का उदाहरण है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

**20.** While the 73rd and 74th constitutional amendments provided for representation to women in local governance, much work remains to be done to ensure their true participation, given their present socio-economic conditions. Comment.

यद्यपि 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, लेकिन उनकी वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना शेष है। टिप्पणी करें।

संविधान के 73वे व 74वे संशोधनों द्वारा महिलाओं को स्थानों व पदों में 1/3 आरक्षण को अनिवार्य किया गया है, जिसे राज्य अपने अनुसार बढ़ा सकता है, वर्तमान में अनेक राज्यों ने इस सीमा को 55 % तक बढ़ाया है, इसके अनेक अनुकूल परिणाम सामने आए हैं, किंतु अभी भी अनेक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके-

(1) महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर अभी भी वास्तविक नियंत्रण परिवार के पुरुष सदस्यों का रहता है, जिसे दूर करने

के लिए महिलाओं को राजनीतिक व शैक्षिक रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है।

(ii) पंचायत की मीटिंगों में किसी प्रॉक्सी के प्रवेश को अवैध घोषित कर महिला प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य करनी चाहिए,

(iii) पंचायतों के आरक्षण के समान आरक्षण आम चुनावों के अतिरिक्त दलगत राजनीति में भी दिया जाना चाहिए,

(iv) वस्तुतः महिला प्रतिनिधियों के आने के बाद पानी, भोजन परिवहन, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब पंचायतों की प्राथमिकता बनने लगे हैं। तथा सर्वे रिपोर्टों के अनुसार मद्यपान, नशाखोरी में कमी आई है। अतः ऐसे प्रावधानों को बढ़ाकर

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

ही वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी।